

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अजनावर
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :- 69/2017 दावा
दायरा दिनांक :- 27.04.2017
निर्णय दिनांक :- 27.06.2017

उनवान

1. हीरालाल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद
2. धनराज पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद
3. कुलदीप पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद
4. कालीबाई बेवा रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद

बनाम

राज्य सरकार जर्जे तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :- 27.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री अशोक कुमार पारीक

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0न0 25/145 रकवा 10 बीघा मौजा कांकडदा में स्थित हैं जो वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काशत में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काशतकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काशतकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 29.06.2012 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 29.06.2012 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काशतकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्जे सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम अजनावर संवत 2064-67 खाता संख्या 133 नकल नक्शा टेस पेश किया गया। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अजनावर पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मे तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजी त सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काशतकारों से किसी प्रकार का कोई

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

(2)


विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कांकडदा संवत् 2064-67 के आराजी ख0नं0 25/145 रकवा 10 बीघा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादी अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अजनावर पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कांकडदा के ख0नं0 25/145 रकवा 10 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते हैं। तदनु रूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।


छीपाबडौद जिला बारां

डिक्री

संख्या 69/2017	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक 27.06.2017
का : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारा		
अभिभावक वादी - श्री अशोक कुमार पारीक		अभिभावक प्रतिवादी -

वाद शीर्षक

उनवान

1. हीरालाल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद
2. धनराज पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद
3. कुलदीप पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद
4. कालीबाई बेवा रामनारायण जाति माली निवासी अजनावर तहसील छीपाबडौद

बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अजनावर पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कांकडदा के ख0नं0 25/145 रकवा 10 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार रू0 का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **27.06.2017** को निर्गत किया गया।


हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभावक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभावक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		